जिला–पटना
न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
उपस्थिति – श्री राजकुमार चौधरी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, बाढ़
बाढ़, 17 वीं मार्च 2026 ई0
सत्रवाद संख्या 1268 / 2025

गोविन्द कुमार (सूचक) ——————————————————————————अभियोजन
बनाम्

1. सचिन कुमार	पिता – श्री शंकर राम	उम्र लगभग 29 वर्ष
2. सोनू कुमार	पिता – श्री सुधीर राम	उम्र लगभग 33 वर्ष
3. नीतीश कुमार	पिता – श्री मुसहरी राम उर्फ श्यामली राम	उम्र लगभग 25 वर्ष
4. रूपचन्द्र कुमार	पिता – श्री सुनील राम	उम्र लगभग 22 वर्ष

निवासी ग्राम– मरांची काली स्थान टोला, थाना–मरांची, जिला–पटना——————————अभियुक्तगण।

आरोप अंतर्गत धारा :– **341/34, 323/34, 447/34, 448/34, 308/34, 504, 506** भा0द0वि0

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री राजाराम शंकर प्रसाद

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक – श्री रामबालक प्रसाद

निर्णय

1. उपरोक्त कुल 4 अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा **341/34, 323/34, 447/34, 448/34, 308/34, 504, 506** भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित कर आरोप का सारांश सुनाया गया, जिसे वे सुनकर घटना से इंकार किये और विचारण का दावा किये।

2. अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक गोविन्द कुमार हैं। इन्होंने लिखित आवेदन थानाध्यक्ष मरांची को दिया है, जिसमें सूचक का कथन है कि दिनांक 02.08.2022 को सूचक गोविन्द कुमार एवं गंगा कुमार दोनों कॉलेज जा रहे थे तभी सचिन कुमार एवं सोनु कुमार इन्हें पानी लाने के लिये कहा, जब सूचक पानी नहीं लाये तो इनके साथ गाली–गलौज करने लगा, सचिन कुमार, सोनु कुमार, नीतिश कुमार, रूपचन्द्र कुमार लाठी–डंडा लेकर आये और इन्हें मारपीट करने लगा, जिससे इनके भाई गौतम कुमार एवं गंगा कुमार का सिर फट गया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर मरांची थाना काण्ड संख्या– 119/2022, दिनांक 03.08.2022 को धारा 341, 323, 447, 448, 308, 504, 506, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत कुल 04 नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया तथा अनुसंधान के बाद अनुसंधान पूर्ण करते हुये आरोप पत्र संख्या 264/2022 को उपरोक्त 04 अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 447, 448, 308, 504, 506, 34 भा0द0वि0 में घटना को सत्य पाकर समर्पित किया गया तथा विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बाढ़ के द्वारा उपरोक्त धारा के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण के वाद को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बाढ़ के द्वारा दौरा सुपुर्द कर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के यहां भेजा गया तथा श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के द्वारा इस वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2025 को भेजा गया है, जिसका विचारण किया गया।

5. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 3 साक्षियों जिसमें साक्षी संख्या 01 सूचक गोविन्द कुमार, साक्षी संख्या 2 गुलशन कुमार, साक्षी संख्या 3 अंकुश कुमार उर्फ राहुल कुमार, साक्षी संख्या 04 अनुसंधानकर्ता अमित कुमार, साक्षी संख्या 5 गौतम कुमार एवं साक्षी संख्या 6 गंगा कुमार उर्फ गणेश को प्रस्तुत किया गया है।

6. अभियुक्तगण का धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान लिया गया है, जिसमें वे घटना से इंकार किये और अपने को निर्दोष बतलाये तथा कहे कि ये निर्दोष हैं।

7. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह के परे सिद्ध करने में सफल हुए हैं अथवा नहीं?

मंतव्य

8. अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल 3 साक्षियों जिसमें साक्षी संख्या 01 सूचक गोविन्द कुमार, साक्षी संख्या 2 गुलशन कुमार, साक्षी संख्या 3 अंकुश कुमार उर्फ राहुल कुमार, साक्षी संख्या 04 अनुसंधानकर्ता अमित कुमार, साक्षी संख्या 5 गौतम कुमार एवं साक्षी संख्या 6 गंगा कुमार उर्फ गणेश का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष करवाया है।

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श करवाया गया है :–

प्रदर्श – 1 :– लिखित आवेदन पर सूचक गोविन्द कुमार का लिखावट सहित हस्ताक्षर।

प्रदर्श – 1/1 :– लिखित आवेदन पर किया गया पृष्ठांकन।

प्रदर्श – 2 :– औपचारिक प्राथमिकी।

प्रदर्श – 3 :– आरोप पत्र।

प्रदर्श 4, 4/1, 4/2 :– जख्म जांच हेतु निर्गत आवेदन।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों में साक्षी संख्या–1. गोविन्द कुमार

है, जिनके लिखित आवेदन के आधार पर यह मुकदमा कायम हुआ है, साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक 02.08.2022 समय 10–11 बजे दिन की है, उस समय कॉलेज जा रहे थे। इनके साथ और कोई नहीं था। जब साक्षी मरांची दुर्गा स्थान के पास पहुंचे तो रुपचन्द कुमार, सोनु कुमार, सचिन कुमार एवं नितीश कुमार डंडा से मारपीट किया, जिसमें इन्हें सिर में चोट लगा एवं गंगा कुमार जो इनका दोस्त है उसको भी सिर पर डंडा से मारपीट किया गया। साक्षी थाना पर जाकर लिखित आवेदन लिखा और थाना को दिया, जो इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श–1 अंकित किया गया है। पुलिस इनसे दोबारा भी पूछताछ किया था। तब वहां भी यही बात बताये थे। इन्होंने सर्वप्रथम मेडिकल स्टोर पर जाकर ईलाज कराया, उसके बाद मरांची स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर अपना एवं अपने दोस्त का ईलाज करवाया। गौतम कुमार को भी चोट लगी थी, उसका भी ईलाज हुआ था। साक्षी इस केश के सभी मुदालय को पहचानते है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदालयगण से केवल बाताबाती हुआ था तथा इस घटना में किसी का माथा नहीं फटा था। साक्षी ने स्वेच्छा से बयान देने की बात का समर्थन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी, भीड़ में किसने पीछे से लाठी चलाया इन्होंने नहीं देखा एवं गौतम और गंगा को भीड़ में ही किसी ने लाठी चलाया, उसे भी इन्होंने नहीं देखा। मुदालयगण से समझौता हो गया है। इस केस को समाप्त कर दिया जाता है तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 02 गुलशन कुमार एवं साक्षी संख्या 03 अंकुश कुमार उर्फ राहुल कुमार है, दोनों ही साक्षियों ने घटना की जानकारी से इंकार किया है तथा पुलिस के समक्ष बयान देने की बात से भी इंकार किया है। साक्षियों ने कहा है कि घटना हुये करीब 3–4 साल हो गया है। साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया और साक्षियों का ध्यान पुलिस बयान की ओर आकृष्ट किया गया, जिसे सुनकर पुलिस बयान से इंकार किये है। साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्तगण को ग्रामीण होने के नाते पहचानते है तथा जो भी बयान दिया है, स्वेच्छा से देने की बात बताये है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 05 गौतम कुमार है, जो इस वाद के जख्मी है, इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना हुये तीन साल हो गया है, उस समय साक्षी स्कूल जा रहे थे, वहां पर इन्हें नीतीश कुमार, सचिन कुमार, सुजीत कुमार सोनू एवं रूपचन्द मिला। इन्हें ये लोग लप्पड़–थप्पड़ किये थे। इनका ईलाज मरांची अस्पताल में हुआ था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि हल्का–फुल्का लप्पड़–थप्पड़ हुआ। इनके शरीर पर कटा या फटा हुआ जख्म नहीं हुआ था। मुदालय लोग को गांव के नाते पहचान किये है। साक्षी स्वेच्छा से बयान देने की बात बतलाये है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 06 गंगा कुमार उर्फ गणेश है, जो इस वाद के जख्मी है, साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना वर्ष 2022 समय 4–5 बजे की है। ये अपना घर जा रहे थे तभी सचिन कुमार, रूपचन्द्र कुमार, सोनू कुमार पानी लाने के लिये बोला, उसी बात को लेकर

विवाद हो गया और बाता–बाती हो गया। इसी विवाद में पकड़ा–पकड़ी हुआ था, जिसमें इन्हें चोट लग गयी। इनका ईलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मरांची में हुआ था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि हल्का–फुल्का लप्पड़–थप्पड़ हुआ। इनके शरीर पर कटा या फटा हुआ जख्म नहीं हुआ था। मुदालय लोग को गांव के नाते पहचान किये है। साक्षी स्वेच्छा से बयान देने की बात बतलाये है। इनका बयान पुलिस नहीं लिया था।

14. साक्षी संख्या 04 अमित कुमार है, जो इस कांड के अनुसंधानकर्ता है, जिन्हें थाना प्रभारी मरांची के द्वारा इस कांड के अनुसंधान भार सौपा गया और इनके द्वारा अनुसंधान के दौरान वादी का पुनः बयान, साक्षियों का बयान, घटना स्थल का निरीक्षण, पर्यवेक्षण टिप्पणी, जख्म प्रतिवेदन एवं सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह का अंतिम आदेश प्राप्त करने के बाद घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किया गया है। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर किया गया पृष्ठांकन को प्रदर्श 1 / 1, औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श 2 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श 3 अंकित, जख्मीयों को जांच हेतु निर्गत आवेदन को प्रदर्श 4, 4 / 1, 4 / 2 अंकित किया गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पी0टी0सी0 विजय सिंह को इन्होंने लिखते–पढ़ते नहीं देखा है। जख्म जांच हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह इनके सामने नहीं लिखा गया था। दीप लाल पासवान इनके सामने औपचारिक प्राथमिकी पर हस्ताक्षर नहीं बनाये थे। घटना स्थल पर ये एक बार गये थे। घटना स्थल से कोई वस्तु या अन्य सामान बरामद नहीं किये थे। घटना स्थल के चौहद्दीदार का बयान इन्होंने नहीं लिया।

15. इस तरह उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं पाता हूँ कि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में साक्षी संख्या 01 गोविन्द कुमार है, इस वाद के सूचक है और इनके द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर यह मुकदमा कायम हुआ है, साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन सहित उनके हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 अंकित किया गया है। साक्षी अपने बयान में अभियुक्तों के द्वारा डंडा से मारपीट करने के बारे में बताये है तथा साक्षी एवं उसके दोस्त गंगा कुमार के सिर में चोट लगने के बारे में बताये है तथा इस कांड में गौतम कुमार को भी चोट लगने के बारे में बताये है परन्तु साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुदालयगण से सिर्फ बाता बाती हुआ था, इस कांड में किसी का माथा नहीं फटा था। घटना स्थल पर काफी भीड़ था और भीड़ में किसने लाठी चलाया, इन्होंने नहीं देखा। मुदालयगण से इनलोगों का समझौता हो गया है और वाद को समाप्त कर दिया जाय, जिसपर भी इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किये है। साक्षी संख्या 04 अनुसंधानकर्ता अमित कुमार है, जो इस कांड का अनुसंधान किये है और अनुसंधान के क्रम में इन्होंने वादी का पुनः बयान, साक्षियों का बयान, घटना स्थल का निरीक्षण, पर्यवेक्षण टिप्पणी, जख्म प्रतिवेदन एवं सर्किल इंस्पेक्टर हाथीदह का अंतिम आदेश प्राप्त करने के बाद घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र समर्पित किया गया है। साक्षी के पहचान पर लिखित आवेदन पर किया गया पृष्ठांकन को प्रदर्श 1 / 1, औपचारिक प्राथमिकी को प्रदर्श 2 एवं आरोप पत्र को प्रदर्श 3 अंकित,

जख्मीयों को जांच हेतु निर्गत आवेदन को प्रदर्श 4, 4 / 1, 4 / 2 अंकित किया गया है। ये औपचारिक साक्षी है, जिन्होंने इस कांड का अनुसंधान किया। साक्षी संख्या 05 गौतम कुमार है, इस वाद के जख्मी है, जिन्होंने अभियुक्तों के द्वारा लप्पड़–थप्पड़ करने की बात बताये है जबकि साक्षी सख्या 06 गंगा कुमार उर्फ गणेश जो इस वाद के जख्मी है, जिन्होंने कहा है कि पकड़ा–पकड़ी में चोट लगी थी। दोनों साक्षी के बातों में विरोधाभास है। साक्षियों ने कहा है कि इनके शरीर पर कटने या फटने का कोई जख्म नहीं हुआ था। अभियोजन के द्वारा इस कांड के चिकित्सीय पदाधिकारी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं कर सके है जबकि न्यायालय द्वारा भी सम्मन निर्गत किया गया है। अभियोजन इस वाद में जख्म प्रतिवेदन को भी साबित नहीं किया है। साक्षियों के बयान से इस कांड में धारा 308 / 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध सिद्ध नहीं होता है, अभियुक्तों पर लगाये गये अन्य आरोप जमानतीय हैं और दोनों पक्षों के बीच संधि हो चुकी है। इस बात का समर्थन सूचक ने अपने बयान में भी किया है।

इस तरह उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाया है उसे संदेह के परे साबित करने में असफल रहे हैं, जिसके कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ मिल गया है तथा वे निर्दोष साबित होते हैं।

आदेश

16. तदनुसार इस वाद के अभियुक्त 1. सचिन कुमार, 2. सोनू कुमार, 3. नीतीश कुमार एवं 4. रूपचन्द कुमार को धारा :–341/34, 323/34, 447/34, 448/34, 308/34, 504, 506 भा0द0वि0 के आरोप से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त करता हूँ तथा उनके सभी जमानतदारों को बंधपत्र के समस्त दायित्वों से उन्मुक्त करता हूँ।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़

17. यह निर्णय खुले न्यायालय में उद्घोषित, संशोधित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
बाढ़